भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. NSM/8/2017/STGCG/SEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांकः **08.08.2018**

सेवा में

1. मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
महानदी भवन,
नया रायपुर,

2. प्रमुख सचिव,
आदिम जाति तथा
अनुसूचित जाति
विकास विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन,
नया रायपुर

3. प्रमुख सचिव,
सामान्य प्रशासन
विभाग,
महानदी भवन,
नया रायपुर

विषयः श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से. (2000) तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा के साथ कथित रूप से भेदभाव करने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायत पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डॉ. नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 18.07.2018 को आयोग में ली गई बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को 01 माह के अंदर भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय

(आर.के. दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्री एन.एस. मण्डावी, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. रिंग रोड़ नम्बर–01, पचपेड़ी नाका के पास, गोमती, इन्डस्ट्रीज के सामने, लक्ष्मी नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. एन. आई. सी.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. NSM/8/2017/STGCG/SEOTH/RU-III

श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से. (2000) तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा के साथ कथित रूप से भेदभाव करने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायत पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'
बैठक की तिथि : 18.07.2018

आयोग को श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से (2000) लक्ष्मी नगर, रायपुर से दिनांक 15.05.2017 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें अनुसूचित जनजाति का अधिकारी होने के कारण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुचित निर्णय लेकर उनके साथ भेदभाव किए जाने की शिकायत की गई जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक और मानसिक त्रास हुआ है। आयोग द्वारा भेजे गए पत्रों से शिकायत का निराकरण न होने एवं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ बैठक आहूत की जिसमें श्री एम.एम. मिंज, संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा अभ्यावेदक चर्चा के लिए आयोग में उपस्थित हुए। मुख्य सचिव एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अनुपस्थित रहे।

बैठक में आयोग ने सबसे पहले श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से (2000) को अपना पक्ष रखने के लिए कहा जिन्होंने आयोग को बताया कि उन्हें 24 जुलाई, 2001 से जनवरी 2004 की अवधि में राज्य शासन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा का दायित्व सौंपा गया था। उस समय छात्रावासों एवं आश्रमशालाओं के लिए गैस भट्टी, सिलेण्डर तथा रेगुलेटर क्रय करने की कार्रवाई आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। वर्ष 2002 की अवधि में की गई खरीदी के संबंध में 10 वर्ष बाद वर्ष 2012 में ऑडिट आपत्ति को आधार मानकर उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई और जांच अधिकारी ने इस आधार पर आरोप को प्रमाणित पाया कि वर्ष 2001–2002 में दन्तेवाड़ा जिले में 1398 छात्रावासों एवं 494 आश्रमशालाओं के लिए 15 लाख रु. की गैस भट्टी, सिलेण्डर एवं रेगुलेटर प्रदान करने हेतु क्रय करने की कार्यवाही बिना निविदाएं बुलाए की गईं।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें केवल सामग्रियों के बिलों का भुगतान करने के लिए कहा गया था जो उनके द्वारा सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया। तथ्य यह है कि जिला जगदलपुर तथा जिला कांकेर में भी उसी मूल्य पर गैस भट्टी, सिलेण्डर व रेगुलेटर खरीदे गए और वहां के संबंधित अधिकारियों को केवल परिनिन्दा/चेतावनी देकर छोड़ दिया गया जो कि सामान्य वर्ग थे जबकि केवल उन्हें ही दोषी पाया गया और कुल

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India

व्यय की गई राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् लगभग रुपये 7.50 लाख की वसूली करने का आदेश पारित किया गया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति का अधिकारी होने के कारण उनके साथ यह अलग व्यवहार किया गया जबकि वे सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। संबंधित फाईल की नोटिंग से यह स्पष्ट है कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव तथा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन भी इस मामले को समाप्त करने के पक्ष में थे किंतु निर्णय उनके विरुद्ध किया गया। यह छत्तीसगढ़ शासन के दिनांक 12.06.2008 के परिपत्र संख्या एफ 13–3/आ.प्र./2008/1–3 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों को गलती किए जाने पर सर्वप्रथम समझाइश दिया जाकर कार्य पद्धति में सुधार लाने का प्रयास किया जाए तत्पश्चात् भी यदि सुधार नहीं होता है तो उन्हें चेतावनी दी जाए। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल टिप्पणियां, कोई ठोस आधार हों तो ही पूर्ण विचारोपरांत की जाए। शासन द्वारा उन्हें बार–बार स्थानान्तरित न करने तथा महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापना करते समय भेद–भाव न किए जाने का निर्देश भी दिया गया है। इन निर्देशों का इस मामले में पालन अपेक्षित था।

आयोग ने संयुक्त सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन से यह जानना चाहा कि जब तीनों जिलों दण्तेवाडा, जगदलपुर तथा कांकेर में एक ही एजेंसी महालक्ष्मी गैस एजेंसी से एक ही दर पर गैस भट्टी, सिलेण्डर तथा रेगुलेटर की खरीद की गई है और गुणवत्ता के विषय में कोई शिकायत नहीं थी तो श्री मंडावी के विरुद्ध ही क्यों कार्यवाही की गई है तथा अन्य दोनों जिलों के अधिकारियों को क्यों परिनिन्दा/चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। यदि ऐसा है तो यह आवेदक के प्रति भेदभाव को दर्शाता है।

आयोग ने यह भी जानना चाहा कि यदि इन तीन जिलों में से किसी जिले में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं तो वहां क्रय हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई। अगर कांकेर जिले में भी निविदाएं नहीं बुलाई गई थीं तो वहां के संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई। क्या उनके विरुद्ध भी वसूली का आदेश पारित किया गया है इस संबंध में जानकारी दी जाए।

संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ प्रशासन ने आयोग को यह बताया कि कांकेर जिले के कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी परंतु उनको कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कम दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध जांच के बाद परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित की गई और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

बैठक में विस्तृत चर्चा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग निम्नानुसार अनुशंसा करता है :–

1. छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा एक तुलनात्मक स्टेटमेण्ट तैयार कर तीनों जिलों में खरीदी गई सामग्रियों की मात्रा, दर, क्रय प्रक्रिया, क्रय प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितता, तत्कालीन अधिकारी का नाम, पदनाम एवं भूमिका और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India

का तुलनात्मक विवरण आयोग में प्रस्तुत किया जाए। इसमें यदि यह पाया जाता है कि अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में एकरूपता नहीं है, केवल आवेदक को ही दण्डित करने की कार्रवाई हुई है और अन्य अधिकारियों को परिनिन्दा/चेतावनी देकर छोड़ा गया है तो सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए आवेदक से भी समान व्यवहार किया जाए।

2. छत्तीसगढ़ शासन के दिनांक 12.06.2008 के परिपत्र संख्या एफ 13–3/आ.प्र./2008/1–3 में निर्देश है कि अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों/कर्मचारियों को गलती किए जाने पर सर्वप्रथम समझाइश दिया जाकर कार्य पद्धति में सुधार लाने का प्रयास किया जाए तत्पश्चात् भी यदि सुधार नहीं होता है तो उन्हें चेतावनी दी जाए। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल टिप्पणियां, कोई ठोस आधार हों तो ही पूर्ण विचारोपरांत की जाए। इस मामले में उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने का कारण बताया जाए।
3. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की प्रकरण समाप्त करने की टीप के बावजूद आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का कारण स्पष्ट किया जाए।
4. उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आयोग को 02 सप्ताह के भीतर समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

7.8.18

Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled
Govt. of India
New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. NSM/8/2017/STGCG/SEOTH/RU-III

श्री एन. एस. मंडावी, सेवानिवृत भा.प्र.से. (2000) तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा के साथ कथित रूप से भेदभाव करने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायत पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
3. श्री एच.के. डामोर, सदस्य
4. श्री एच.सी.वसावा, सदस्य
5. श्री एम.सी. ईवनाते, सदस्या,
6. श्री राघव चंद्रा, सचिव
7. श्री शिशिर कुमार राथ, संयुक्त सचिव
8. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
9. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी

श्री एम.एम. मिंज, संयुक्त सचिव, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

आवेदक

श्री एन.एस. मण्डावी